1. Pat

<u>अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

कार्यालय <u>जिलाधिकारी, कानपुर</u> देहात।

प0सं0- 469-AW /ओएसडी-का0दे0/2009 दिनांकः 9 जुलाई, 2009

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
<u>जनपद-कानपुर देहात।</u>

वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना तथा विकलांग पेंशन से सम्बन्धित वर्ष 2009-10 की प्रथम छमाही की धनराशि जिला मुख्यालय से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को भेज दी गयी है। वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित धनराशि अभी शाखाओं में पहुँच रही है, जबकि अन्य दोनों पेंशन पहले ही शाखाओं में जा चुकी है।

आप अवगत हैं कि इस समय शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है और आगामी तहसील दिवस 21 जुलाई, 2009 को पुनः जनपद के सेक्टर अधिकारी श्री हरभजन सिंह, प्रमुख सचिव, चिकित्सा-शिक्षा, द्वारा किसी भी विकास खण्ड के किसी ग्राम का निरीक्षण किया जा सकता है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को सम्बन्धित बैंक शाखाओं में भेजकर सुनिश्चित करायें कि लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि पहुँच गयी है अथवा नहीं। जहाँ पर बैंक शाखाओं को कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, उससे तत्काल अग्रणी जिला प्रबन्धक, मुख्य विकास अधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय, ताकि समस्या का निराकरण किया जा सके।

कृपया 17 जुलाई, 2009 तक इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन तथा विकलांग पेंशन योजना से सम्बन्धित प्रथम छमाही की धनराशि सभी लाभार्थियों के खाते में पहुँच गयी है।

09.7.09

(सरोज कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
3. जिला प्रोवेशन अधिकारी, कानपुर देहात।
4. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
5. अग्रणी जिला प्रबन्धक, कानपुर देहात।

(सरोज कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।